छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
Email ID:- usecy-gad13.cg@gov.in
--00--

क्रमांक **RULE-801/166/2025-GAD-13,** नवा रायपुर, दि. **17-07-2025**

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करते समय जनसूचना अधिकारी तथा आदेश पारित करते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम अंकित करने के संबंध में।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 1-1/2011/1-13 नया रायपुर, दिनांक 11.08.2015.

--00--

छ0ग0 राज्य सूचना आयोग द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी जाने वाली सूचना में दस्तावेज के रूप में प्रतिलिपि उपलब्ध रहती है तथा प्रतिलिपि की छायाप्रति को प्रमाणित कर दिये जाने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि प्राप्त दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुआ है अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई है।

संदर्भित पत्र की कंडिका-5 में यह स्पष्ट है कि यदि आवेदक ने चाही गई सूचना की प्रतियां या अभिलेखों को प्रमाणित कर, प्रदाय करने का अनुरोध किया है तो जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, सील सहित और हस्ताक्षर मय तारीख अंकित कर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

क्रमश..................2.............पर

//2//

उक्त कंडिका को और सारगर्भित बनाये जाने के प्रयोजन से कंडिका-5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

यदि आवेदक ने चाही गई सूचना की प्रतियां या अभिलेखों को प्रमाणित कर, प्रदाय करने का अनुरोध किया है तो जनसूचना अधिकारी दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराने के पूर्व एक सील जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त सत्यापित प्रति अंकित हो लगाकर जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम सील सहित और हस्ताक्षर मय तारीख अंकित कर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

कृपया जनसूचना अधिकारी उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
RAMADHIN UIKEY
Date: 17-07-2025
15:28:52

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ. **RULE-801/166/2025-GAD-13** नवा रायपुर, दि.**17-07-2025**

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
4. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
6. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
8. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
9. स्टॉक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Digitally signed by
RAMADHIN UIKEY
Date: 18-07-2025
17:35:18

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,